विचार बिन्दु

मन की प्रसन्नता से समस्त मानसिक और शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। –रामदास

सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता का पैमाना अब नामांकन नहीं, सीखने के परिणाम हों

भारत में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में पिछले दो दशकों में बड़ा बदलाव आया है। कभी चुनौती बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की थी, लेकिन अब तस्वीर काफी हद तक बदल चुकी है। आज देश के सामने बड़ा सवाल यह है कि जो बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, वे वास्तव में कितना सीख पा रहे हैं। किसी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ जाना, भवन का निर्माण हो जाना, स्मार्ट क्लास लग जाना या किताबें और यूनिफॉर्म उपलब्ध करा देना शिक्षा की गुणवत्ता का अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता। शिक्षा की असली कसौटी यह है कि बच्चा अपनी कक्षा के अनुरूप पढ़, लिख और गणित कर पा रहा है या नहीं।

भारत में यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी स्कूल देश की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा आधार हैं। यूडाइस 'UDISE+ 2024-25' के अनुसार देश में लगभग 14.71 लाख स्कूल हैं, जिनमें करीब 10.13 लाख सरकारी स्कूल हैं। यानी कुल स्कूलों का लगभग 69 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में है। इसी वर्ष देश के 24.69 करोड़ विद्यार्थियों में करीब 12.16 करोड़ विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे। सरकारी स्कूलों में लगभग 51.5 लाख शिक्षक कार्यरत हैं।

ये आंकड़े बताते हैं कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता केवल शिक्षा विभाग का विषय नहीं है, बल्कि देश के मानव संसाधन और भविष्य की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ा प्रश्न है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट यानी असर 'ASER 2024' के आंकड़े बताते हैं कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के बुनियादी पढ़ने और गणित के स्तर में 2022 के मुकाबले उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ग्रामीण भारत में कक्षा तीसरी के सरकारी स्कूल के बच्चों में कक्षा दूसरी के स्तर का पाठ पढ़ पाने वाले बच्चों का अनुपात 2022 में 16.3 प्रतिशत था, जो 2024 में बढ़कर 23.4 प्रतिशत हो गया। इसी तरह कक्षा पांचवीं में यह अनुपात 38.5 प्रतिशत से बढ़कर 44.8 प्रतिशत हुआ।

गणित में भी सुधार दिखाई देता है। कक्षा तीसरी के सरकारी स्कूलों के बच्चों में कम से कम दो अंकों की घटाव की समस्या हल कर पाने वालों का अनुपात 2022 में 20.2 प्रतिशत था, जो 2024 में बढ़कर 27.6 प्रतिशत हुआ। कक्षा पांचवीं में तीन अंकों को एक अंक से भाग देने की क्षमता रखने वाले बच्चों का अनुपात भी सुधरा है। असर रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी अंकगणित का प्रदर्शन एक दशक से अधिक समय में अपने ऊंचे स्तरों में पहुंचा है।

इन आंकड़ों को एक सकारात्मक बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इनके भीतर एक गंभीर संदेश भी छिपा है। अगर कक्षा पांचवीं के सरकारी स्कूल के लगभग 55 प्रतिशत बच्चे कक्षा दूसरी के स्तर का पाठ सहजता से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो केवल स्कूल में उनका नामांकन होना पर्याप्त उपलब्धि नहीं माना जा सकता। यह अंतर बताता है कि अब शिक्षा व्यवस्था को स्कूल पहुंचाने से आगे बढ़कर सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

यही कारण है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा गया है। निपुन भारत मिशन का उद्देश्य बच्चों को शुरुआती कक्षाओं में पढ़ने-समझने और गणित की बुनियादी क्षमताएं हासिल कराना है। सरकार ने कक्षा तीन के अंत तक प्रत्येक बच्चे को इन बुनियादी क्षमताओं से लैस करने का लक्ष्य रखा है।

इस दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पहले शिक्षा की सफलता को अक्सर स्कूलों की संख्या, नामांकन, परीक्षा परिणाम और बुनियादी सुविधाओं से मापा जाता था। अब सवाल यह होना चाहिए कि बच्चा वास्तव में क्या कर सकता है। क्या वह अपनी किताब को समझकर पढ़ सकता है? क्या वह किसी समस्या को अपने शब्दों में समझा सकता है? क्या वह सामान्य गणितीय गणना कर सकता है? क्या वह रटने के बजाय अवधारणा को समझता है? क्या वह सीखी हुई बात को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है? यही सीखने के परिणाम की अवधारणा है।

इस दिशा में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2024 में हुए इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण में 87,619 स्कूलों और लगभग 22.94 लाख विद्यार्थियों को शामिल किया गया। कक्षा तीसरी के स्तर पर भाषा में राष्ट्रीय स्तर का सही उत्तर देने का प्रदर्शन 2021 के 62 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 64 प्रतिशत और गणित में 57 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हुआ। इससे संकेत मिलता है कि सुधार हो रहा है, लेकिन सुधार की गति और उसकी गुणवत्ता दोनों पर लगातार नजर रखना आवश्यक है।

> **सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने की पहली शर्त है कि शिक्षक को केवल पाठ्यक्रम पूरा करने वाला कर्मचारी न माना जाए, बल्कि उसे सीखने की प्रक्रिया का केंद्र बनाया जाए। शिक्षक के सामने यदि अत्यधिक गैर-शैक्षणिक कार्य, प्रशासनिक जिम्मेदारियां और कागजी औपचारिकताएं होंगी तो कक्षा में व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन होगा। शिक्षा नीति भी निरंतर शिक्षक प्रशिक्षण और पेशेवर विकास पर जोर देती है।**

सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने की पहली शर्त है कि शिक्षक को केवल पाठ्यक्रम पूरा करने वाला कर्मचारी न माना जाए, बल्कि उसे सीखने की प्रक्रिया का केंद्र बनाया जाए। शिक्षक के सामने यदि अत्यधिक गैर-शैक्षणिक कार्य, प्रशासनिक जिम्मेदारियां और कागजी औपचारिकताएं होंगी तो कक्षा में व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन होगा। शिक्षा नीति भी निरंतर शिक्षक प्रशिक्षण और पेशेवर विकास पर जोर देती है। एनईपी 2020 में प्रत्येक स्कूल में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को बेहतर रखने तथा वंचित क्षेत्रों में और कम अनुपात का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन केवल शिक्षक प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है। स्कूल में ऐसा वातावरण भी चाहिए जिसमें शिक्षक प्रयोग कर सके। हर बच्चे की सीखने की गति समान नहीं होती। एक बच्चा पहली बार में पढ़ना सीख सकता है, दूसरा कई बार अभ्यास के बाद। इसलिए कक्षा में केवल औसत बच्चे को ध्यान में रखकर पढ़ाने की व्यवस्था कमजोर बच्चों को पीछे छोड़ सकती है।

यहीं पर रीमेडियल टीचिंग यानी सीखने में पीछे रह गए बच्चों के लिए अतिरिक्त और लक्षित शिक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि कक्षा पांच में पहुंच चुके बच्चे को कक्षा दूसरी के स्तर का पाठ पढ़ने में कठिनाई है तो उसे केवल कक्षा पांच का पाठ पढ़ाते रहना समाधान नहीं है। पहले उसके वास्तविक सीखने के स्तर की पहचान करनी होगी और फिर उसी स्तर से उसे आगे बढ़ाना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती है मूल्यांकन की। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना और वास्तविक ज्ञान होना हमेशा एक ही बात नहीं है। बच्चों को प्रश्नों के उत्तर याद कराने के बजाय ऐसी परीक्षा प्रणाली विकसित करनी होगी जो उनकी समझ, तर्क, समस्या समाधान और भाषा क्षमता को मापे। शिक्षा व्यवस्था में लगातार मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को डराना नहीं बल्कि यह पता लगाना होना चाहिए कि किस बच्चे को किस विषय में मदद की जरूरत है।

तीसरा क्षेत्र है अभिभावकों की भागीदारी। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता की जिम्मेदारी केवल सरकार और शिक्षक की नहीं हो सकती। घर का वातावरण भी सीखने पर प्रभाव डालता है। माता-पिता यदि रोज कुछ समय बच्चों से पढ़ने, लिखने और गणित के सामान्य सवालों पर बातचीत करें तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए अभिभावकों का उच्च शिक्षित होना भी आवश्यक नहीं है। बच्चे से अखबार की कोई छोटी खबर पढ़वाना, बाजार के सामान का हिसाब करवाना या किसी कहानी को अपने शब्दों में सुनाने के लिए कहना भी सीखने का हिस्सा हो सकता है।

डिजिटल तकनीक इस पूरी प्रक्रिया को गति दे सकती है, लेकिन तकनीक को शिक्षक का विकल्प मानना उचित नहीं होगा। दीक्षा DIKSHA (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़ी मात्रा में शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार DIKSHA पर लाखों डिजिटल सामग्री उपलब्ध हैं और अनेक भारतीय भाषाओं में संसाधन तैयार किए गए हैं। लेकिन डिजिटल सामग्री तभी प्रभावी होगी जब बच्चे के पास उपकरण, इंटरनेट और उसका सही उपयोग कराने वाला शिक्षक या अभिभावक भी हो।

सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए बुनियादी सुविधाओं की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साफ-सुथरे और सुरक्षित भवन, बिजली, पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल की सुविधाएं बच्चों के लिए आवश्यक हैं। मगर इन सुविधाओं को शिक्षा की अंतिम उपलब्धि मान लेना भी गलत होगा। एक स्कूल में शानदार भवन हो सकता है, लेकिन यदि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो गुणवत्ता का सवाल फिर भी बना रहेगा। इसलिए भविष्य में सरकारी स्कूलों की निगरानी का मॉडल बदलने की जरूरत है। स्कूल में कितने कमरे हैं, कितने बच्चों का नामांकन है और कितने कार्यक्रम आयोजित हुए-इनके साथ यह भी नियमित रूप से देखा जाना चाहिए कि कक्षा तीन का बच्चा क्या पढ़ सकता है, कक्षा पांच का बच्चा कौन-सा गणित कर सकता है और कक्षा आठ का विद्यार्थी पाठ को समझकर अपनी बात लिख सकता है या नहीं।

यहां एक और सावधानी जरूरी है। सीखने के परिणामों की तुलना करते समय सरकारी और निजी स्कूलों को केवल एक-दूसरे के मुकाबले खड़ा करना समस्या का पूरा समाधान नहीं है। दोनों में पढ़ने वाले बच्चों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि अलग हो सकती है। इसलिए लक्ष्य किसी एक स्कूल प्रणाली को श्रेष्ठ घोषित करना नहीं, बल्कि हर बच्चे के सीखने के स्तर को ऊपर उठाना होना चाहिए। भारत की शिक्षा व्यवस्था के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती शायद स्कूलों तक पहुंच नहीं, बल्कि स्कूल में मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता है। नामांकन के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। अब अगला चरण सीखने के अधिकार को वास्तविक अर्थ देना है।

एक बच्चा स्कूल में पांच साल बिताने के बाद यदि सरल पाठ पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है या सामान्य गणितीय समस्या हल नहीं कर पाता, तो हमें केवल यह नहीं पूछना चाहिए कि वह स्कूल क्यों नहीं सीख पाया। हमें यह भी पूछना चाहिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ने उसे सीखने के पर्याप्त अवसर क्यों नहीं दिए। सरकारी स्कूल भारत के करोड़ों परिवारों के बच्चों के सपनों का आधार हैं। इसलिए इन स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार का अर्थ केवल शिक्षा विभाग का प्रदर्शन सुधारना नहीं, बल्कि देश के भविष्य की गुणवत्ता सुधारना है। अब समय आ गया है कि स्कूलों की सफलता का पैमाना केवल यह न हो कि कितने बच्चे स्कूल पहुंचे, बल्कि यह हो कि स्कूल से निकलने तक कितने बच्चे वास्तव में सीख पाए। नामांकन शिक्षा की शुरुआत है, मंजिल नहीं। असली मंजिल है-हर बच्चे का सीखना।

–अतिथि सम्पादक,राम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

यूपीआई पर एमडीआर का शोर, कार्ड की पुरानी कीमत कौन याद करेगा?

कार्ड से यूपीआई तकः भुगतान की कीमत कितनी बदली?

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल

जब से भारत में यूपीआई पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर चर्चा शुरू हुई है, तब से तरह-तरह की बातें हो कह रहा है कि इससे यूपीआई का इस्तेमाल कम होगा और कुछ लोग डिजिटल भुगतान से दूरी बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बहस में एक महत्वपूर्ण बात छूट रही है। इसका दूसरी व्यवस्थाओं से तुलनात्मक अध्यन

पहले कार्ड भुगतान की कीमत देखिए -एमडीआर वह शुल्क है जो व्यापारी को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देना पड़ता है। कार्ड भुगतान में ग्राहक का बैंक, व्यापारी का बैंक, वीजा, मास्टरकार्ड जैसे कार्ड नेटवर्क और भुगतान सेवा प्रदाता शामिल होते हैं। भारत में क्रेडिट कार्ड का एमडीआर आम तौर पर करीब 1.5 से 3.5 प्रतिशत के दायरे में रहा है। कुछ प्रीमियम, कॉरपोरेट, अंतरराष्ट्रीय या विशेष कार्ड श्रेणियों में यह इससे अधिक भी हो सकता है। इसलिए हर वीजा या मास्टरकार्ड भुगतान पर 3 से 5 प्रतिशत शुल्क लगता था, ऐसा कहना सही नहीं होगा। लेकिन यह जरूर है कि कई क्रेडिट कार्ड भुगतानों की लागत यूपीआई के प्रस्तावित 0.40 प्रतिशत से कई गुना अधिक रही है। यानी 10,000 के भुगतान पर 0.40 प्रतिशत का मतलब 40 है, जबकि 2 प्रतिशत कार्ड एमडीआर पर 200 और 3 प्रतिशत पर 300। और रेलवे तथा पेट्रोल जैसे आवश्यक क्षेत्रों में 2,000 से अधिक के यूपीआई भुगतान पर सामान्य 0.40 प्रतिशत के बजाय 5 प्रति लेनदेन का निश्चित एमडीआर रखा गया है। पूंजी बाजार से जुड़े भुगतान के लिए दर केवल 0.02 प्रतिशत एवं 300/- अधिकतम। इससे साफ है कि सभी क्षेत्रों पर एक जैसा शुल्क नहीं लगाया गया है। क्या हर यूपीआई भुगतान पर 0.40 प्रतिशत लगेगा? बिल्कुल नहीं। व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान मुफ्त रहेगा। 2,000 तक के व्यापारी भुगतान भी शून्य एमडीआर के दायरे में रहेंगे। पात्र छोटे व्यापारियों के लिए भी शून्य एमडीआर की व्यवस्था जारी है। सरकार के अनुसार करीब 96 प्रतिशत पी2एम लेनदेन नए एमडीआर से प्रभावित नहीं होंगे। सामान्य पात्र बड़े कारोबारी भुगतान में 2,000 से अधिक की राशि पर 0.40 प्रतिशत एमडीआर लागू होगा, लेकिन 75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर इसकी अधिकतम सीमा 300 प्रति लेनदेन रखी गई है। इसलिए यह कहना कि "अब हर यूपीआई भुगतान पर 0.40 प्रतिशत लगेगा", पूरी तरह सही नहीं है। और एमडीआर ग्राहक से लिया जाने वाला कर नहीं है। यह व्यापारी और भुगतान व्यवस्था के बीच का शुल्क है। ग्राहक से अलग से यूपीआई शुल्क वसूलना इस व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है।

रेलवे और पेट्रोल पर 5 का मॉडल क्यों?- रेलवे, ईंधन, दूरसंचार, बीमा और कृषि इनपुट जैसे क्षेत्रों को सामान्य कारोबार से अलग रखा गया है। इन क्षेत्रों में भुगतान की रकम बड़ी हो सकती है, लेकिन लाभ का मार्जिन उसी अनुपात में बड़ा हो, यह जरूरी नहीं। अगर 10,000 के पेट्रोल भुगतान पर 0.40 प्रतिशत लगता तो शुल्क 40 होता। लेकिन निश्चित 5 की व्यवस्था में वही लागत 5 रहती है। यानी सरकार ने इन आवश्यक सेवाओं के लिए प्रतिशत आधारित शुल्क के बजाय निश्चित शुल्क का मॉडल अपनाया है। यूपीआई की असली उपलब्धि केवल सस्ता भुगतान नहीं है। यूपीआई ने भारत में छोटे व्यापार की तस्वीर बदल दी है। आज सड़क किनारे चाय बेचने वाला व्यक्ति भी क्यूआर कोड से भुगतान ले सकता है। उसे जरूरी नहीं कि कार्ड मशीन रखनी पड़े। ग्राहक के पास नकद नहीं है तो भी भुगतान हो सकता है और पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंच सकता है। इससे छोटे व्यापारी की बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड बनता है। बैंक को उसके वास्तविक कारोबार और आमदनी की जानकारी मिलती है। धीरे-धीरे उसकी बैंकिंग हिस्ट्री बनती है और उसी आधार पर वह एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या बैंक ऋण जैसी वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच बना सकता है। यूपीआई ने केवल पैसा भेजने का तरीका नहीं बदला है, इसने छोटे व्यापारी को नकद आधारित अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से निकालकर औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का काम किया है।

हमें पुराने बैंकिंग दौर को भी याद करना चाहिए-आज यूपीआई की सुविधा इतनी सामान्य हो गई है कि हमें पुराने दौर की कठिनाइयां याद ही नहीं रहतीं। जब ई-चेक क्लियरिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस जैसी सुविधाएं नहीं थीं, तब दूसरे शहर में भुगतान करना लंबी प्रक्रिया थी। कई बार सोमवार को भुगतान करने के बाद मंगलवार या बुधवार तक बैंक ड्राफ्ट मिलता था। एक लाख रुपये पर करीब डेढ़ सौ रुपये का शुल्क लगता था। फिर ड्राफ्ट डाक रजिस्ट्री से दूसरे शहर भेजा जाता था, जिसमें तीन-चार दिन लगते थे और उसके बाद क्लियरिंग में कई दिन और।

आउटस्टेशन चेक की स्थिति तो और कठिन थी। जयपुर के व्यापारी को मुंबई का चेक मिलता था तो वह मुंबई क्लियरिंग के लिए भेजा जाता था। इसमें एक लाख रुपये पर 300 से 400 रुपये तक शुल्क और कई बार 15 दिन से एक महीने तक का समय लग जाता था। आज यूपीआई के कुछ सेकंड में होने वाले भुगतान को देखकर वह दौर लगभग अविश्वसनीय लगता है।

तकनीक का बहिष्कार समाधान नहीं है-करीब 35 साल पहले जब बैंकों और शेयर बाजार में कंप्यूटरीकरण शुरू हुआ था, तब भी इसका विरोध हुआ था। लोगों को डर था कि कंप्यूटर रोजगार खत्म कर देगा और पुरानी व्यवस्था बदल जाएगी। लेकिन क्या आज बैंकिंग, शेयर बाजार, व्यापार, शिक्षा और रोजगार का शायद ही कोई क्षेत्र कंप्यूटर के बिना चल सकता है। यूपीआई भी उसी तकनीकी बदलाव का अगला चरण है। इसलिए एमडीआर पर सवाल जरूर उठाइए। सरकार से सवाल कीजिए। बैंकों और भुगतान कंपनियों से बेहतर और कम लागत वाली व्यवस्था की मांग कीजिए। लेकिन तकनीक का बहिष्कार मत कीजिए। अन्यथा तकनीक हमें बाहर निकाल देगी।

आज अधिकांश लोगों की तनख्वाह बैंक खाते में आती है। बिल, रिचार्ज, टिकट और खरीदारी मोबाइल से होती है। ग्राहक की जेब में पहले की तरह हर समय नकद नहीं रहता। एक समय था जब पैसे कम पड़ने पर दुकानदार टॉफी/बिस्कुट देकर हिसाब बराबर कर देता था। वह जमाना तेजी से बदल चुका है। आज ग्राहक के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल के अंदर बैंक है। ऐसे में अगर कोई व्यापारी कहता है कि "मैं यूपीआई नहीं लूंगा", तो संभव है कि ग्राहक किसी दूसरे व्यापारी के पास चला जाए।

नकद भुगतान पर एमडीआर नहीं लगता, लेकिन नकद को गिनना, सुरक्षित रखना, बैंक में जमा करना, हिसाब मिलाना और चोरी या नुकसान का जोखिम भी एक लागत है। इसलिए व्यापारी को केवल यूपीआई के एमडीआर को नहीं, बल्कि पूरी भुगतान व्यवस्था की कुल लागत को देखना चाहिए। असली बहस क्या होनी चाहिए? जब से भारत में ई-चेक क्लियरिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी बैंकिंग सुविधाएं शुरू हुई हैं, तब से हमारी बैंकिंग व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आया है। लेकिन जरा उस समय को याद कीजिए जब ये सुविधाएं नहीं थीं।

किसी व्यापारी ने सोमवार को भुगतान किया तो कई बार मंगलवार या बुधवार तक बैंक ड्राफ्ट मिलता था। एक लाख रुपये पर करीब डेढ़ सौ रुपये का शुल्क लगता था। फिर ड्राफ्ट रजिस्ट्री से दूसरे शहर भेजा जाता था, पहुंचने में तीन-चार दिन लगते थे और क्लियरिंग में कई दिन और। पूरी प्रक्रिया में 10 दिन तक लग जाते थे। पूंजी अटकने का ब्याज और बाकी लागत अलग। आउटस्टेशन चेक की स्थिति तो और मुश्किल थी। जयपुर में बैठे व्यापारी को मुंबई का चेक मिलता था तो उसे मुंबई क्लियरिंग के लिए भेजा जाता था। इसमें एक लाख रुपये पर 300-400 रुपये तक शुल्क और कई बार 15 दिन से एक महीने तक का समय लग जाता था। आज के यूपीआई के दौर में यह सब लगभग अविश्वसनीय लगता है। अगर पूरी व्यवस्था को देखें तो यूपीआई भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। इसलिए एमडीआर पर बहस जरूर होनी चाहिए, लेकिन यूपीआई के इस व्यापक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत, यानी कम लागत, आसान पहुंच और ग्राहक की सुविधा, कमजोर न हो। एमडीआर पर सवाल जरूर कीजिए, लेकिन समाधान यूपीआई छोड़ना नहीं है।

–रोटेरियन सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

ज्ञानेश की मनमानी, चुनाव आयोग की बदनामी

राजेन्द्र भाणावत

कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को अपनी प्रतिष्ठा अर्जित करने में सालों लग जाते हैं और इसके लिए प्रयास भी बहुत करना पड़ता है। इसके विपरीत, किसी भी संस्था की प्रतिष्ठा को ध्वस्त करने के लिए एक ही व्यक्ति और उसके क्रिया कलाप काफी होते हैं। यह कथन चुनाव आयोग के बारे में शत प्रतिशत सिद्ध होता दिखाई दे रहा है।

1990 में जब टी एन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो उन्होंने कई प्रकार के चुनाव सुधार किए। चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए उठाए गए कदमों के लिए उन्हें आज तक याद किया जाता है। चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा में गिरावट की शुरुआत गत मुख्य चुनाव अयुक्त राजीव कुमार के समय से हुई जब उन्होंने कई निर्णय, सत्ताधारी दल के पक्ष में लिए, चाहे वह मतदान की तिथियों की घोषणा का हो, आचार संहिता की पालना का हो या नामांकन रद्द करने का हो। मार्च, 2025 में जब से ज्ञानेश कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला तब से तो चुनाव आयोग की साख को मिट्टी में ही मिला दिया गया। अनेक प्रश्न मीडिया और विपक्षी दलों द्वारा पूछे गए किंतु इन्होंने किसी का उत्तर तक देना सही नहीं समझा। गत डेढ़ वर्ष से जिस प्रकार से चुनाव आयोग काम कर रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र, संवैधानिक संस्था के रूप में नहीं अपितु भाजपा सरकार के प्रकोष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है। शेषन के समय में ही चुनाव आयोग को त्रि सदस्यीय आयोग बना दिया गया और यह निर्धारित कर दिया गया था कि आयोग के सभी निर्णय यथासंभव सर्वसम्मति से होंगे। यदि सर्वसम्मति न बन पाए तो तीन सदस्यों के बहुमत के आधार पर निर्णय होंगे और इस बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया।

इंडियन एक्सप्रेस के 23 सितंबर 2026 के अंक में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया में दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया एवं उनके द्वारा समय-समय पर लिखित में आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने ही स्तर पर उन्हें लागू कर दिया। इस प्रकार के निर्णयों का परिणाम आज पूरा देश भुगत रहा है।

जो एस आई आर, बिहार में जून 2025 से लागू की गई, आज वह पूरे देश में फैल चुकी है और इसके फल स्वरुप लगभग साढे 13 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में से हटा दिए गए हैं। बंगाल के चुनाव में तो ज्ञानेश कुमार ने अवैधानिक कार्यों की सारी सीमाएं पार कर दीं। मतदाताओं की आपत्तियों पर निर्णय करने के लिए न्यायिक सेवा के 700 ए डी जे को नियुक्त कर दिया। ऐसा, चुनावी इतिहास में पहली बार हुआ। इनके निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए। इन में 16 लाख अपील दायर हुईं,जिनमें से अब तक कुल मिलाकर 126000 का निर्णय हुआ। सब अपीलों का निर्णय होने में सालों लग जाएंगे।अपीलों में से 93 प्रतिशत का निर्णय अपील कर्ता के पक्ष में हुआ और इन लोगों के नाम पुनः मतदाता सूची में जोड़े गए। स्पष्ट है, प्रथम दृष्टया, मतदाता सूची में से नाम काटना ही एक मनमाना पूर्ण निर्णय था। इतनी अधिक संख्या में नाम काटने के पीछे 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' का तर्क दिया गया। 22 लाख अपीलें नाम हटाने के लिए ट्रिब्युनल के पास गईं किंतु यह नहीं पता चल पाया कि आपत्ति किसने की। ये सारी आपत्तियां शायद केंद्रीकृत रूप से चुनाव आयोग द्वारा ही दाखिल की गईं।

फॉर्म 6, जिसके द्वारा नए मतदाताओं का नाम जोड़ा जाता है, में बदलाव करने के लिए कानून में परिवर्तन की आवश्यकता थी जो केवल संसद द्वारा किया जा सकता था। ज्ञानेश कुमार ने अपने स्तर पर ही इसके साथ एक संलग्नक अनिवार्य कर दिया, जिसमें नए मतदाता के माता-पिता, दादा-दादी के नाम 2002 की मतदाता सूची में होने का प्रमाण मांगा गया था। यह बदलाव ज्ञानेश कुमार ने अपने स्तर पर ही कर दिया जबकि इसका दोनों आयुक्तों ने विरोध किया था। उनके अनुसार यह अनधिकृत और अवैधानिक था।

दिल्ली का मामला तो और भी विचित्र है। यहां 58 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए और 33 लाख मतदाताओं को संदेहपूर्ण मानते हुए उन्हें अपनी पहचान सिद्ध करने और वोटर होने की पात्रता सिद्ध करने हेतु नोटिस जारी कर दिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग की मीटिंगों का न एजेंडा बनाया जाता था और न मीटिंग के मिनट जारी किए जाते थे,जिससे यह सिद्ध हो सके कि निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने और हटाने के लिए ई आर ओ (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) प्राधिकृत अधिकारी हैं। ज्ञानेश कुमार ने यह अधिकार आयोग के आईटी सेल के प्रभारी को दे दिया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस आई आर), जिसका कि किसी भी चुनाव संबंधी कानून में जिक्र तक नहीं है, को पूरे देश में लागू कर दिया गया और इसके लिए चुनाव आयोग का कोई निर्णय भी नहीं हुआ। यह बात चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में स्वीकारी है। यदि यह कहा जाए कि चुनाव आयोग केवल ज्ञानेश कुमार की कठपुतली बन कर रह गया और अन्य दो सदस्य केवल मूक दर्शक की तरह ही देखते रहे तो, गलत नहीं होगा। पहले तो यह माना जा रहा था कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने ज्ञानेश कुमार के गलत कामों पर सहमति दी है, किंतु इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि चुनाव आयुक्तों की अंतरात्मा पूरी तरह मरी नहीं थी और उन्होंने समय-समय पर अपने एतराज लिखित में दर्ज कराए थे। यह अलग बात है कि वह सार्वजनिक तौर पर ऐसा कहने से बचते रहे हैं। इस बात के लिए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर रितिका चोपड़ा की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है कि उन्होंने इतनी मेहनत से यह रिपोर्ट सामने लाई है। इस खुलासे ने देश में एक प्रकार से, भूचाल सा ला दिया है।

विचित्र बात यह है कि चुनाव आयोग इस बारे में न तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है न उसने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का कोई खंडन किया है। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित एस आई आर संबंधी याचिकाओं पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आया। इसी कारण एस आई आर की प्रक्रिया अब तक जारी है। योगेंद्र यादव, ए डी आर एवं राजनीतिक दलों द्वारा जो शिकायतें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं, उनका भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि जब कभी कोई गलत या मनमाना, अवैधानिक कार्य देश में हो रहा हो, तो उस पर अंकुश लगाने का काम वह करेगा। दुर्भाग्य वश, इस प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ।

कुल मिलाकर देखें, तो लगता है कि चुनाव आयोग के निर्णय बहुमत से नहीं हुए और ज्ञानेश कुमार अपनी मनमानी करते रहे। इस कारण लोकतंत्र के आधार, 'चुनावों' को संदेह के घेरे में ला दिया है। जिस प्रकार से डेढ़ वर्ष में मतदाता सूचियों के बारे में निर्णय हुए और लाखों करोड़ों लोगों के नाम मनमाने तौर पर काट दिए गए, उससे तो लगता है कि ज्ञानेश कुमार ने सत्ता धारी दल के इशारे पर ही काम करना तय कर लिया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते-करते, ऐसा लगता है कि सामान्य विवेक को भी ताक पर रख दिया गया और करोड़ों मतदाताओं को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर दिया। यह, उस मूल अवधारणा के विपरीत है जिसमें भारत के प्रत्येक उस नागरिक को, जो 18 वर्ष या ऊपर का है, मत देने का अधिकार है।

क्या पूरे देश का लोकतंत्र और यहां के नागरिकों का भविष्य केवल एक व्यक्ति ज्ञानेश कुमार के मनमाने व्यवहार पर छोड़ा जा सकता है? क्या पूरा देश बेबस होकर केवल देखता रहेगा ?

इसका हल तो तभी निकल सकता है जब, या तो सुप्रीम कोर्ट तत्काल एस आई आर पर रोक लगाए और जून 2025 से पूर्व की मतदाता सूचियों के आधार पर अब चुनाव कराने का आदेश दे, या ज्ञानेश कुमार स्वयं अपने पद से इस्तीफा दें ताकि आयोग अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सके। यदि ये दोनों ही काम नहीं हुए तो फिर अंतिम विकल्प यही बचता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता आंदोलन करे और जिस प्रकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया, उसी प्रकार ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जाए। इस आंदोलन की घोषणा तो कोकरोच जनता पार्टी के दीपके ने कर ही दी है।

ज्ञानेश कुमार एक काम तो कर ही सकते हैं कि वे तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और चुनाव आयोग की प्रक्रिया के संबंध में उत्पन्न हुए संदेह का निराकरण करें।

यह भी विचित्र बात है कि चुनाव आयोग के निर्णय का बचाव करने हेतु चुनाव आयोग सामने नहीं आया है, अपितु भारतीय जनता पार्टी उसके निर्णय का बचाव कर रही है। यह उल्लेखनीय है कि चुनाव आयुक्त बनने से पहले ज्ञानेश कुमार ने अमित शाह के अधीन सहकारिता सचिव और गृह विभाग में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव के रूप में उनके साथ लंबे समय तक काम किया था।

आशंका यह भी है कि दोनों चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटा दिया जाय या उन्हें ई डी, सी बी आई की कार्रवाई का डर दिखा कर इस्तीफा देने हेतु बाध्य कर दिया जाय। अभी तो हम यही कह सकते हैं कि यदि चुनाव आयोग को अधिक बदनामी से बचाना है तो उसे ज्ञानेश कुमार की मनमानी से मुक्त कराना होगा ताकि किसी निष्पक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जा सके और चुनाव आयोग अपनी छवि को पुनः ठीक कर सके।

–राजेन्द्र भाणावत,
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शनिवार 26 सितम्बर, 2026

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, शनिवार, विक्रम संवत–2083, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दिन 11:32 तक, गंड योग दिन 1:17 तक, विष्टि करण दिन 10:43 तक, चन्द्रमा आज मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति– सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-मीन, मंगल-कर्क, बुध-कन्या, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज रवियोग दिन 11:23 तक है। भद्रा प्रातः 10:43 तक रहेगी। आज सत्य पूर्णिमा व्रत, पंचक है। आज सिंजा माता पूजा आरम्भ होगी। आज पूर्णिमा और पोष्ठ पदल कर श्राद्ध है।

श्रेष्ठ चौघड़िया– शुभ 7:50 से 9:19 तक, शुभ 12:18 से 1:48 तक, लाभ अमृत 1:48 से 4:46 तक

राहुकाल– 9:00 से 10:30 तक, सूर्योदय 6:21, सूर्यास्त 6:16

मेष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

वृष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। दिनचर्या में सुधार होगा।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। वर्तमान में अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

सिंह
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

कन्या
परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

तुला
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित विवादों का निपटारा हो सकता है। अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी और व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। आज संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा।

धनु
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

मकर
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कुंभ
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

मीन
मानसिक तनाव दूर होगा। मनः स्थिति में सुधार होगा। आज आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।